

ए.11018 / 12 / 2021—एम.एच.2 / एन.सी.डी.—1

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी-1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021

जन-सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में मेस बॉय पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली 110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011-2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1982 को, जहाँ तक उसका संबंध मेस बॉय के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में मेस बॉय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, मेस बॉय (समूह 'ग' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संछ्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संछ्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरहता- वह व्यक्ति-**

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अवचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मेस वॉय	02* (2021) ‘कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुमतिवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदर्शों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक: मैट्रिक परीक्षा अथवा दसवीं पास वांछनीय: किसी होटल या केटरिंग संस्थान में मेस में एक वर्ष का अनुभव टिप्पणि: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झिजारम, मणिपुर, नागार्जुन, विष्णुपुर, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश का लाहोल और स्थानित जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्ष्मीग के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और रीक्रिक बहुताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवार की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होनी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संबंध लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8) लागू नहीं होता।	(9) दो वर्ष।	(10) सीधी भर्ती द्वारा।	(11) लागू नहीं होता।	(12) पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति:- 1. अपर निदेशक 2. उपनिदेशक (पुनर्वास) 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. संबंधित विभागाध्यक्ष	(13) लागू नहीं होता। - अध्यध; - सदस्य; - सदस्य; - सदस्य।

(ग.11018/12/2021-एमाएच-II)

अवर सचिव, भारत सरकार